कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय– आदेश

श्री रामदयाल शर्मा, सेवानिवृत व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राउमावि गण्डाल, सवाई माधोपुर का उपार्जित एवं असाधारण अवकाश राजस्थान सेवा नियमों के नियम 91 एवं 96 के अन्तर्गत जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, सवाई माधोपुर की अभिशंषा के आधार पर एतद्द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

कसं	अवकाश का प्रकार	लिये गये अवकाश	दिनों की संख्या
1.	उपार्जित अवकाश	29.09.2015 से 17.11.2015	053 दिवस
2.	असाधारण अवकाश	18.11.2015 से 04.07.2017 08.07.2017 से 16.11.2017	595 दिवस 132 दिवस

असाधारण अवकाश अवधि की वेतनवृद्धि देय नहीं होगी। कार्मिक के उपार्जित/असाधारण अवकाश अवधि का लेखा एवं इन्द्राज उसकी सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से किया जावे।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/माध्य/संस्था/सी–6/अवकाश/2019 दिनांकः– 16 /04/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा..।
2– संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) /मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा...............।
2– संबधित प्रधानाचार्य/प्राध्यापक..।
3– सिस्टम एनेलेसिस्ट कम्पयुटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
4– निजी/ रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा / माध्य / संस्था / सी–6 / रावि / अवकाश 2019 / दिनांक : 16/04/19

<u>कारण बताओ नोटिस</u>

यह कि रामदयाल, सेवानिवृत व्याख्याता राजनीति विज्ञान राउमावि गण्डाल, बामनवास, सवाईमाधोपुर के दिनांक 26 / 9 / 15 से 16 / 11 / 17 के अवकाश प्रकरण आप द्वारा तत्समय पर न भिजवाकर 31 / 12 / 17 के सेवानिवृति के भी लगभग 14 माह बाद इस कार्यालय को भिजवाया गया ।

यह कि इस कार्यालय के पत्रांक शिविरा / मा / संस्था / सी–6 / रावि / विविध / 2017 दिनांक 6 / 6 / 17 के द्वारा 19 माह तक अनुपस्थित रहने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाये जाने हेतु आप को निर्देशित किया गया था, उक्त पत्र के संदर्भ में आप द्वारा अपने पत्र दिनांक 5 / 7 / 17 द्वारा प्रधानाचार्य राउमावि गण्डाल बामनवास, सवाईमाधोपुर को अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु पत्र लिख कर कार्य की इतिश्री कर ली गई एंव कार्मिक के विरूद्व समय पर क्या कार्यवाही की गई इस संबंध में कोई दस्तावेज नहीं प्रेषित किये गये । जो कि नियमों के प्रतिकूल है ।

यह कि रामदयाल, सेवानिवृत व्याख्याता राजनीति विज्ञान राउमावि गण्डाल, बामनवास, सवाईमाधोपुर के दिनांक 26 / 9 / 15 से 16 / 11 / 17 के अवकाश प्रकरण आप द्वारा तत्समय पर न भिजवाकर 31 / 12 / 17 के सेवानिवृति के भी लगभग 14 माह बाद इस कार्यालय को भेजने के परिप्रेक्ष्य में आपके द्वारा पदीय कर्तव्यों को निर्वहन नहीं करते हुए घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई । अतः आप कारण बतावें कि क्यों न इस हेतु आपके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे, आप अपना स्पष्टीकरण नोटिस प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें । निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि इस संबध में आप को कुछ नहीं कहना है तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जायेगी ।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) सवाईमाधोपुर